राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु
विशेष समिति की बारहवीं बैठक के कार्यवृत्त
(08 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित)

नई दिल्ली

श्री विजय गोयल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण तथा राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की विशेष समिति की 8 मार्च, 2017 को आयोजित 12 वीं बैठक के कार्यवृत्त

श्री विजय गोयल, माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा माननीय राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता वाली नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की 12 वीं बैठक 8 मार्च, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 15:00 बजे आयोजित की गई। विभिन्न केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और संगठनों के सदस्यों /विशेष आमंत्रितों ने बैठक में भाग लिया। सदस्यों, आमंत्रणों और बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में रखी गई है।

प्रारंभ में, जल संसाधन राज्य मंत्री, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री विजय गोयल ने विशेष समिति के सभी सदस्यों/विशेष आमंत्रितों और बैठक में अन्य प्रतिभागियों को उत्साहपूर्वक से स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना, मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। सुश्री उमा भारती, माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय सक्रिय रूप से कार्यक्रम पर नज़र रख रही हैं और देश में नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय और रा.ज.वि.अ. द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत, रा.ज.वि.अ. ने विभिन्न अध्ययनों को पूरा किया गया है और इन अध्ययनों के आधार पर, 30 लिंक (14 हिमालय नदी के घटक के तहत और 16 प्रायद्वीपीय नदी के घटक के तहत) की पहचान की, जिसमें से 16 संपर्कों की संभाव्यता प्रतिवेदन पूरी हो गई थी। इसके पश्चात् संबंधित राज्यों के साथ आम सहमति/समझौते के बाद, 4 अंतरा-बेसिन जल अंतरण लिंक की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का काम पूरा हो गया। केन-बेतवा लिंक कार्यान्वयन के लिए शुरू किया जाने वाला पहला नदियों का अंतर्योजन परियोजना है जिसके लिए विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियां उन्नत चरण में हैं। पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल लिंक का डीपीआर पूरा हो चुके हैं और जल साझाकरण पर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य सरकारों के साथ समझौता करने के लिए उच्चतम स्तर पर चर्चा चल रही है। इसी प्रकार, महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को लेने के लिए मंत्रालय द्वारा उच्च स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि छोटे-छोटे राज्यों के जल हस्तांतरण और मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिंक के रूप में माना जाता है, हिमालयी घटक की मातृ लिंक मार्ग की सिंचाई के साथ-साथ महानदी बेसिन को बड़ी मात्रा में जल के अंतरण के लिए योजना बनाई गई।

उन्होंने नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए कार्यबल द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने सभी राज्यों के सहयोग से नदियों कार्यक्रमों को जोड़ने के सफल क्रियान्वयन के लिए आम सहमति बनाने के लिए अनुरोध किया, जिससे देश में समृद्धि आएगी। इसके बाद माननीय राज्य मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) ने रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक से चर्चा के लिए कार्यसूची मद प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

मद सं. 12.1 : नई दिल्ली में 9 नवंबर, 2016 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की 11 वीं बैठक की समाप्ति की पुष्टि

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि दिनांक 9 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की 11 वीं बैठक के कार्यवृत्तों को 7 दिसंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को भेजा गया था। चूंकि किसी भी में से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, बैठक के कार्यवृत्त को परिचालन के रूप में पुष्टि की गई।

मद सं. 12.2 : पिछली बैठक के दौरान किए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

मद सं. 12.2.1 : जल संतुलन अध्ययन की तैयारी के लिए दिशानिर्देश

महानिदेशक ने कार्यसूची टिप्पण में जल संतुलन अध्ययन की तैयारी के लिए दर्शाए गए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की स्थिति को बताया और कहा कि यह मुद्दा कार्यसूची मद सं. 12.8 के तहत विस्तृत चर्चा के लिए प्रस्तावित है।

मद सं. 12.3 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण- I - विभिन्न वैधानिक स्वीकृति की स्थिति

मद सं. 12.3.1 : पर्यावरण स्वीकृति

महानिदेशक रा.ज.वि.अ. ने केन-बेतवा लिंक परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के वर्तमान स्थिति, चरण-I को कार्यसूची के अनुसार बताया। ईएसी ने 30 दिसंबर, 2016 को कुछ शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) की सिफारिश की है।

मद सं. 12.3.2 : वन्यजीव अनुमति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने केन-बेतवा लिंक प्रस्ताव की वन्यजीव अनुमति की वर्तमान स्थिति को कार्यसूची के अनुसार बताया। 23.8.2016 को अपनी बैठक में वन्यजीव परिषद (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने वन्यजीव स्वीकृति के संबंध में सिफारिश की थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने 21.9.2016 को वन्यजीव स्वीकृति जारी कर दी गई है।

मद सं. 12.3.3 : वन भूमि की परिवर्तन स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि परियोजना के लिए वनभूमि व्यपवर्तन स्वीकृति हेतु दिनांक 10 नवंबर, 2016 को आयोजित बैठक में वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने अंतिम बार विचार किया था। इसके पहले रखे गए तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार और चर्चा के बाद, एफएसी ने एक समिति का गठन किया है जो स्थल का निरीक्षण करेगा, संबंधित दस्तावेजों/प्रतिवेदनों की पुष्टि करेगा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जो एफएसी के समक्ष रखा जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि इस प्रयोजन के लिए गठित समिति 25-28 जनवरी 2017 के दौरान परियोजना स्थलों का दौरा किया। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, एफएसी वन भूमि व्यपवर्तन अनुमति के समझौते के लिए परियोजना पर विचार करेगी।

मद सं. 12.3.4 : जनजातीय मामलों के मंत्रालय से स्वीकृति (एमओटीए)

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए)ने अपने पात्र दिनांक 04.01.2017 द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में अनुसूचित जनजाति परियोजना प्रभावित परिवारों (एसटीपीएफ) के लिए पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास (आरएंडआर) योजना के लिए आवश्यक स्वीकृति दे दी है।

मद सं. 12.3.5 : तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना- चरण-I पर सचिव, जल संसाधन, नदी

विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता में माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी 129 वीं बैठक में विचार किया गया और तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी गई, जो वैधानिक स्वीकृति प्राप्ति पर बाध्य होगी।

मद सं. 12.3.6 : कार्यान्वयन तंत्र

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन तंत्र के मुद्दे पर 18.01.2017 को चर्चा हुई थी जिसमें प्रधान सचिव (जल संसाधन विकास), म०प्र० सरकार, संयुक्त सचिव (पीपी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण और महानिदेशक रा.ज.वि.अ. और रा.ज.वि.अ. के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यान्वयन के लिए एक तीन स्तरीय तंत्र का प्रस्ताव किया गया।

उन्होंने आगे सूचित किया कि प्रधान सचिव (जल संसाधन विकास)म.प्र. ने दिनांक 03.03.2017 के अपने पत्र के माध्यम से बताया कि सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) के साथ चर्चा अनिर्णित थी और उन्होंने निगरानी एवं समीक्षा समिति के लिए सहमति नहीं दी थी। यह निर्णय लिया गया कि कार्यान्वयन तंत्र के मुद्दे को जल संसाधन विकास, मध्य प्रदेश सरकार के साथ लिया जाएगा।

मद सं. 12.3.7 : निवेश स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि 10.02.2017 को आयोजित हुई पाँचवीं बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की निवेश स्वीकृति समिति ने केन -बेतवा लिंक परियोजना (केएलएलपी) चरण-I के निवेश स्वीकृति की सिफारिश की थी, जिसकी अनुमानित लागत 2015-16 के मूल्य स्तर पर रुपये 18057.08 करोड़ थी। उन्होंने आगे बताया कि केबीएलपी के लिए 90:10 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में वित्त पोषण तंत्र के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है एवं संबंधित मंत्रालयों और नीति आयोग, माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) को उनकी टिप्पणियों हेतु प्रस्तुत किया गया है। टिप्पण केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्रालयों और नीति आयोग से टिप्पणियों पर उचित रीति से विचार किया जाएगा।

मद सं. 12.4 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण- II - डीपीआर की वर्तमान स्थिति

मद सं. 12.4.1 : निचला ओर बांध की पर्यावरण निकासी

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कार्यसूची टिप्पण में दिए गए अनुसार निचला ओर बांध के लिए पर्यावरण स्वीकृति के वर्तमान स्थिति को बताया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने अपने पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2016 को रा.ज.वि.अ. को पर्यावरण स्वीकृति के मुद्दे के लिए ईएसी की सिफारिशों के विचार के लिए चरण-I स्वीकृति की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

मद सं. 12.4.2 : लोअर ओर बांध की वन स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि एफएसी ने दिनांक 10 नवंबर, 2016 को अपनी बैठक में आयोजित की स्थल का निरीक्षण करने और संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित करने और एक समिति का गठन किया गया जो अपनी प्रतिवेदन एफएसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तदनुसार, समिति ने 25-28 जनवरी, 2017 को परियोजना स्थलों का दौरा किया। समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर एफएसी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगा।

मद सं. 12.5 : दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं - डीपीआर की वर्तमान स्थिति

मद सं. 12.5.1 : दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कार्यसूची टिप्पण में दी गई दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति को बताया। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझेदारी के मुद्दे पर 31 दिसंबर, 2016 को गांधीनगर में माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात के साथ बैठक की। गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। रा.ज.वि.अ. चर्चा के अनुसार, पार-तापी-नर्मदा लिंक के एक संशोधित प्रस्ताव की तैयारी कर रहा था, जो 30 अप्रैल, 2017 तक तैयार होगा। पार-तापी-नर्मदा पर समझौता दमनगंगा-पिंजल लिंक प्रस्ताव पर दोनों राज्यों के बीच एक समझौता करने में अच्छी तरह से मदद करेगा।

मद सं. 12.5.1.1 : वन भूमि में व्यपवर्तन अनुमति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने दमनगंगा-पिंजल लिंक की वर्तमान स्थिति को बताया है कि ग्रेटर मुंबई महानगर निगम (एमसीजीएम) ने 30 जून 2016 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से ऑनलाइन वनभूमि व्यपवर्तन स्वीकृति के लिए आवेदन जमा कर दिया है।

मद सं. 12.5.1.2 : जनजातीय मामलों के मंत्रालय से स्वीकृति (एमओटीए)

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के संबंध में परियोजना प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर एंड आर) योजना के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए), भारत सरकार से स्वीकृति का प्रस्ताव ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा आदिवासी मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली में निर्धारित प्रारूप में अन्य दस्तावेजों के साथ 30 जून, 2016 को प्रस्तुत किया गया था।

मद सं. 12.5.1.3 : तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना पर जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण के सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति की दिनांक 8 जुलाई 2016 को आयोजित 129 वीं बैठक में विचार किया गया था और तकनीकी -आर्थिक स्वीकृति के अधीन आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

मद सं. 12.5.2 : पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कार्यसूची टिप्पणों में दिए गए पारा -तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति को बताया। इसके अलावा गुजरात सरकार ने सुझाव के अनुसार नए आदिवासी क्षेत्रों को लिंक नहर के परियोजना के कमान क्षेत्र और नर्मदा नहर कमान में शामिल किया गया है। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने गुजरात सरकार की माननीय मुख्यमंत्री के साथ दिनांक 31 दिसंबर, 2016 को गांधीनगर में बैठक की और संशोधित प्रस्ताव पर एक प्रस्तुति दी। गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। तदनुसार, डीपीआर को संशोधित किया जा रहा है और यह 30.4.2017 तक तैयार होगा।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने रा.ज.वि.अ. को डीपीआर संशोधन पूरा करने में तेजी लाने के लिए सलाह दी और गुजरात सरकार के प्रतिनिधि को आवश्यक सहयोग देने के लिए अनुरोध किया।

मद सं. 12.6 : महानदी-गोदावरी लिंक के प्रणाली अनुकरण अध्ययन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) ने जल के शेष अध्ययन और बहु-जलाशय के अनुकरण को ओडिशा सरकार के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद 30.08.2016 को हुई उप-समिति-द्वितीय की नवमी बैठक में संशोधित किया। सुझाव संशोधित प्रतिवेदन को 3 मार्च 2017 को आयोजित प्रणाली अध्ययन (उप-समिति-II) पर उप-समिति की दसवीं बैठक में विचार किया गया और मामूली संशोधनों का सुझाव दिया गया। प्रतिवेदन को संशोधित किया जा रहा है और उप-समिति-द्वितीय द्वारा इसकी अगली बैठक में विचार किया जाएगा। इसके बाद, प्रतिवेदन विशेष समिति को सौंप दी जाएगी।

ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि एनआईएच की प्रतिवेदन फरवरी, 2017 के आखिरी सप्ताह में उप-समिति-II (3 मार्च, 2017) की बैठक के कुछ ही दिन पहले प्राप्त हुई थी, अतः उन्हें प्रतिवेदन का अध्ययन करने हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल सका। उन्होंने प्रतिवेदन का अध्ययन करने और टिप्पणियों/टिप्पणियों को जमा करने के लिए समय के लिए अनुरोध किया। समिति ने ओडिशा के प्रतिनिधि से दो सप्ताह के समय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जिससे प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा सके। तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि ने मांग की कि प्रतिवेदन की एक प्रति उनके राज्य को दी जाए, क्योंकि पेन्नार क्षेत्र और कावेरी घाटियों को महानदी जल के हस्तांतरण से तमिलनाडु राज्य को लाभ होगा।

मद सं. 12.7 : मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने एमएसटीजी लिंक की संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने की स्थिति को बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि भूटान में मानस और संकोष बांध दोनों झूठ बोल रहे हैं , जिसमें इस लिंक पर विचार किया गया है, संकोष बांध और जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसकी डीपीआर को सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। एमएसटीजी लिंक के नियोजन में रा.ज.वि.अ. द्वारा इस परियोजना का रिलीज पैटर्न एकीकृत किया जाएगा। हालांकि, मानस बांध के लिए इसी तरह के समझौते पर भूटान के साथ अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे बताया कि मानस बांध के बिना भी गंगा-दामोदर-सुबर्णरेखा और सुबर्णरेखा-महानदी लिंकों के माध्यम से महानदी घाटी के आगे संचरण के लिए मार्गी उपयोग के बाद यह लिंक गंगा को पर्याप्त मात्रा में जल हस्तांतरित कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि एमएसटीजी लिंक में 43 बीसीएम जल के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से लगभग 14 बीसीएम महानदी तक पहुँच जाएगा, जिसे आगे दक्षिण में कम जल वाले कृष्णा, पेन्नार, कावेरी घाटियों और उससे भी आगे स्थानांतरित किया जाएगा। महानदी जल में एमएसटीजी लिंक से जल की वृद्धि को ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री के नोटिस में लाया गया है।

श्री एम. गोपालकृष्णन ने कहा कि एमएसटीजी लिंक देश के बड़े हित में है और महानदी में 14 बीसीएम जल उपलब्ध कराएगा जिससे महानदी-गोदावरी लिंक की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकेगा ताकि दक्षिण के कम जल क्षेत्र कृष्णा, पेन्नार, कावेरी घाटियों और आगे भी अंतरण किया जा सकेगा।

उन्होंने मानस बांध से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने और द्विपक्षीय समझौते को बढ़ाने के लिए

उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल करने का सुझाव दिया। श्री ए.डी. मोहिले, सदस्य, नदियों का अंतर्योजन पर कार्यबल ने उल्लेख किया कि एमएसटीजी लिंक की योजना के दौरान, बांग्लादेश की चिंताओं को भी विचार किया जाना चाहिए।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने श्री गोपालकृष्णन और श्री मोहिले द्वारा व्यक्त किए गए सुझाव/विचारों की सराहना की। उन्होंने संकेत दिया कि भूटान के साथ जुड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश मामलों के मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) से चर्चा की गई है। इन मुद्दों को भूटान के साथ उठाया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना कार्यान्वयन के लिए तैयार है। गुजरात सरकार के सुझावों पर विचार कर पीटीएन लिंक का डीपीआर संशोधित किया जा रहा है। महानदी-गोदावरी (एमजी) लिंक के बारे में सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने उल्लेख किया कि एमजी लिंक अलगाव में नहीं लिया जाएगा , बल्कि एमएसटीजी लिंक से जल महानदी बेसिन में पहले उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें रुशिकुल्या बेसिन क्षेत्र भी शामिल है।

तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि का कहना है कि महानदी में प्रचुर मात्रा में जल जो समुद्र में बह जाता है, जिसे जरूरतमंद क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सकता है।

प्रो० पी.बी.एस. सरमा ने उल्लेख किया कि ओडिशा सरकार के अनुरोध पर, पांच सिंचाई परियोजनाओं को महानदी-गोदावरी लिंक से जोड़ा गया है। आम सहमति बनाने के दौरान इस तरह के लाभों को स्पष्ट किया जाना चाहिए उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एमएसटीजी लिंक के सिंचाई मार्ग के लिए महानदी बेसिन में उपयोग किए जाने वाले एमएसटीजी लिंक के माध्यम से जल अंतरण भूमिगत जल पुनर्भरण को बढ़ा देगा जो ओडिशा में और उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

मद सं. 12.8 : नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु नदी बेसिन में अधिशेष जल

यह सूचित किया गया कि नदियों के अंतर्योजन के लिए कार्यबल ने अपनी विभिन्न बैठकों में नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के उद्देश्य के लिए 'अधिशेष जल' के मुद्दे पर विचार किया और सभी संबंधित राज्यों से उनकी टिप्पणियों/विचारों को व्यक्त करने का परामर्श दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय , सीजीडब्ल्यूबी, एनआईएच, सीईए, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की टिप्पणियां प्राप्त हुईं। उपरोक्त चर्चा के आधार पर नदी के बेसिन में अधिशेष जल पर काम करने के लिए 13 फरवरी, 2017 को आयोजित कार्यबल की छठी बैठक में चर्चा की गई एवं दिशानिर्देशों को और संशोधित किया गया। कार्यबल ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। कार्यबल की अगली बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। अंतिम रूप देने के बाद, इन दिशानिर्देशों को विशेष समिति के समक्ष रखा जाएगा।

तेलंगाना के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि न्यायाधिकरण निर्देशों में दिए गए आवंटन का यथास्थिति पालन किया जाना चाहिए। यह सूचित किया गया था कि नदियों का अंतर्योजन के लिए कार्यबल के तहत एक कानूनी समूह का गठन किया गया है जो सभी संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। कानूनी समूह के अध्यक्ष श्री ए.डी. मोहिले ने बताया कि कानूनी समूह की प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही कार्यबल को प्रस्तुत करने की संभावना है।

केरल के प्रतिनिधि ने कहा कि केरल राज्य का कार्यबल में प्रतिनिधित्व नहीं है। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने

स्पष्ट किया कि दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के दौरान सभी राज्यों (केरल सहित) की टिप्पणी कार्यबल द्वारा उचित रूप से लिया गया है। उन्होंने बताया कि केरल को कार्यबल की अगली बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

श्री आर.एस. प्रसाद, सदस्य, विशेष समिति ने कहा कि एक निश्चित अवधि के बाद न्यायाधिकरण के निर्णयों कि समीक्षा की जानी चाहिए। इस तरह की समीक्षा के समय न्यायाधिकरण निर्णयों वाली बेसिनों में अधिशेष जल निकालने के लिए रा.ज.वि.अ. के अध्ययनों पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

मद सं. 12.9 : अंतरा-राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने विशेष समिति को अंतरा-राज्य लिंक की विस्तृत स्थिति के बारे में बताया, जैसा कि कार्यसूची टिप्पण में दिया गया है। तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने पोन्नैयार-पलार अंत:राज्यीय लिंक परियोजना की डीपीआर प्रदान करने का अनुरोध किया।

मद सं. 12.10 : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का पुनर्गठन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति ने **21.0 9 . 2015** को माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) को अपना प्रतिवेदन सौंपी। "रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन" को **30** मई, **2016** को माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई थी। इसके अलावा, **8** दिसंबर, **2016** को सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) को एक और प्रस्तुति दी गई थी। जैसा कि बैठक में सुझाव दिया गया है, रा.ज.वि.अ. अतिरिक्त पदों की आवश्यकता को कम करने के लिए संशोधन की प्रक्रिया में है, जैसा कि प्रस्तुति के समय निर्णय लिया गया था।

मद सं. 12.11 : अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

उप-समिति-I और II के कार्यकाल का विस्तार

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि विशेष समिति का कार्यकाल **12** फरवरी, **2017** को समाप्त हो गया था। चूंकि इन उप-समितियों के संदर्भ (टीओआर) में दीर्घकालिक कार्य और अध्ययन/कार्यबल के लिए कार्यबल नदियों के अंतर्योजन पर और बड़ी मात्रा में काम अभी भी इन उप-समितियों द्वारा किया जाना है, कार्यकाल का विस्तार आवश्यक माना गया। विशेष समिति द्वारा उप-समिति-**I** और **II** के कार्यकाल का विस्तार **12.02.2017** से आगे छह महीने किए जाने पर सहमत हुई।

अन्य चर्चाएं

तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने नेत्रावती-हेमावती लिंक और पाम्बा-अच्चेलकोविल-वैप्पार लिंक के संभाव्यता अध्ययन करने का अनुरोध किया।

केरल के प्रतिनिधि ने अपनी सरकार का रुख दोहराया और रा.ज.वि.अ. से आग्रह किया कि पम्बा-अचंकोविल-वैप्पार लिंक परियोजना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि केरल सरकार प्रस्तावित लिंक परियोजना के विरोध में है। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि कर्नाटक सरकार ने नेत्रावती-हेमावती लिंक के लिए अनुमति नहीं

दी है। उन्होंने आगे कहा कि पम्बा-अचंकोविल-वैप्पार लिंक परियोजना केवल तब शुरू की जाएगी जब केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य इस पर सहमत हों।

सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन हुआ।

***

अनुलग्नक-I

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 08.03.2017 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना हेतु विशेष समिति की 12 वीं बैठक में सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और प्रतिभागियों की सूची

1.	श्री विजय गोयल माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री रामचंद्रु तेजावत, विशेष प्रतिनिधि (कैबिनेट मंत्री पद) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व
3.	डॉ० अमरजीत सिंह, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री नरेंद्र कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री एस.के. प्रभाकर, प्रधान सचिव, लोक सेवा विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	सदस्य
6.	श्री शंभु नाथ, सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
7.	श्री गुरुपादस्वामी बी.जी., सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	सदस्य
8.	श्री विशाल गगन, विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर	मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व
9.	श्री के.बी. रबादिया, मुख्य अभियंता (एसजी) एवं अपर सचिव (जल संसाधन विभाग), गुजरात सरकार, गांधीनगर	सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व
10.	श्री आर.वी. पांसे कार्यपालक निदेशक, तापी सिंचाई विकास निगम, जलगांव	प्रतिनिधि मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार
11.	श्री राजीव कुमार सुकालिक, इंजीनियर-इन-चीफ, जल संसाधन विभाग, सरकार। मध्य प्रदेश, भोपाल	मुख्य सचिव, म०प्र० सरकार का प्रतिनिधित्व
12.	श्री जयंत कुमार रे, अपर आवासीय आयुक्त,	सचिव पी.डब्ल्यू.डी., पुदुचेरी सरकार का प्रतिनिधित्व

पुदुचेरी सरकार, नई दिल्ली

13.	श्री पवन कुमार, सलाहकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	मुख्य सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व
14.	श्री जितेन्द्र कुमार, सलाहकार, नीति आयोग, नई दिल्ली	सदस्य (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
15.	श्री श्रीराम वेदिरे सामाजिक कार्यकर्ता व सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री नरेन्द्र बिरथरे सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधायक, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	सदस्य
17.	श्री आर.एस. प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
18.	श्रीमती सयाली जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
19.	श्री ए.के. मलिक, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई और जल संसाधन विभाग,, हरियाणा सरकार, नई दिल्ली	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व
20.	श्री जोशी के.ए., मुख्य अभियंता, परियोजनाएं-II, सिंचाई विभाग, केरल सरकार, तिरुवंतपुरम	प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग केरल सरकार का प्रतिनिधित्व
21.	डॉ एस प्रभु, वैज्ञानिक-सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
22.	श्री डी.आर. मीणा, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व
23.	श्री अमर नाथ सिंह बिष्ट, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार	सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
24.	श्री अशोक राम, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार.	सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
25.	श्री सैयद अल्ताफ हुसैन, अपर मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग असम सरकार, गुवाहाटी	मुख्य सचिव, असम सरकार का प्रतिनिधित्व
26.	श्री बिपिन कुमार, अधीक्षण अभियंता (योजना एवं एवं निगरानी) जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	प्रतिनिधि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व

27. श्री एस. मसूद हुसैन, सदस्य-सचिव
महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.,
नई दिल्ली

विशेष आमंत्रित

28. श्री एम गोपालकृष्णन,
विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन के अध्यक्ष, उप-समिति-III
और सदस्य, नदियों का अंतर्योजन के लिए कार्यबल

29. श्री ए.डी. मोहिले,
केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष,
सदस्य, नदियों का अंतर्योजन हेतु कार्यबल

30. प्रो० पी.बी.एस. सरमा
अध्यक्ष, उप-समिति-II

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी

31. श्री जगमोहन गुप्त,
संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

32. श्री संजय कुंडू, संयुक्त सचिव (पीपी),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

33. श्री वीरेन्द्र शर्मा,
वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

34. श्री समीर सिन्हा, प्रवक्ता,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

35. डॉ० जे.के. द्विवेदी
उप प्रवक्ता,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

36. श्री मनमीत सिंह,
प्रबंधक (पर्या.),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली.

37. श्री जे बोस,
निदेशक, कार्यालय मुख्य सलाहकार लागत, व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

राज्य सरकार के अधिकारी

38. श्री आर सुब्रमण्यम, अध्यक्ष,
सीटीसी सह आई.एस.एस.डब्ल्यू
तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

39. श्री एल.एल.गुप्ता, अभियंता-इन-चीफ, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ

40. श्री अजय बंसल,
मुख्य अभियंता, (जल संसाधन), सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

41. श्री जॉयदीप शुक्ला,
ओएसडी और उप सचिव,
असम सरकार, गुवाहाटी

42. श्री आर पी देशमुख,
अधीक्षण अभियंता- IV, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, झांसी

43. श्री प्रदीप यादव,
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग,
हरियाणा सरकार, नई दिल्ली

44. श्री आर. विलानाथन,
कार्यपालन अभियंता, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू,
तमिलनाडु सरकार, नई दिल्ली

45. श्री टी. गिरिधर राव, आईएस
और उप निदेशक, जल संसाधन, जल संसाधन विभाग,
आंध्र प्रदेश सरकार, विजयवाड़ा

46. श्री आशुतोष दाश,
उप निदेशक, अंत:राज्यीय जल मुद्दा प्रकोष्ठ,
जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार.

47. श्री एम.एन. शिवराम राव,
सहायक कार्यपालन अभियंता,
कार्यालय मुख्य अभियंता (आईएसडब्ल्यू), कृष्णा जल प्रकोष्ठ,
कर्नाटक सरकार, नई दिल्ली

48. श्री के. वेंकटेश्वर राव,
उप अधिशाषी अभियंता,
कार्यालय मुख्य अभियंता (आईएसडब्ल्यूआर),
आंध्र प्रदेश सरकार।, विजयवाड़ा

49. श्री सी. चंद्र,
आवासीय अभियंता, जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, नई दिल्ली

50. श्री विजयकुमार पीजी,
सहायक अभियंता,
केरल सरकार, नई दिल्ली

रा.ज.वि.अ. के अधिकारी

51. श्री आर के जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
नई दिल्ली

52. श्री एम.के. श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
हैदराबाद

53. श्री एन.सी. जैन,
मुख्य अभियंता (उत्तर),
लखनऊ

54. श्री के.पी. गुप्ता,
निदेशक (तकनीकी),
नई दिल्ली

55. श्री ओ.पी.एस. कुशवाह,
अधीक्षण अभियंता,
नई दिल्ली

56. श्री ज़ब्बार अली,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

57. श्री आर.के. खरबंदा,
उप निदेशक,
नई दिल्ली।

58. श्री नागेश महाजन,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

59. श्री के.के. राव,
उप निदेशक (एच), नई दिल्ली

60. श्री एम.के. सिन्हा,
वरिष्ठ सलाहकार नई दिल्ली

61. श्री निज़ाम अली,
मध्य सलाहकार
नई दिल्ली